

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भोपाल**

Tele & Fax No. 0755 - 2674354, E-mail - apccfproduction@gmail.com

क्रमांक/निस्तार/2007/3815

भोपाल, दिनांक : 27 अक्टूबर 2007

प्रति,

**समस्त वन संरक्षक**

**मध्यप्रदेश**

**विषय :-**

कूपों से बिना चट्टे बनाए जलाऊ लकड़ी निस्तार में प्रदाय बाबत।

**संदर्भ :-**

कार्यालयीन पत्र क्रमांक उत्पादन/निस्तार/1223 दिनांक 2 अप्रैल 2007.

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। निर्देश दिये गये थे कि आगामी निस्तार वर्ष में कूपों से बिना चट्टे बनाये स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि के लिये इमारती लकड़ी की निकासी उपरांत कूप खोला जाकर जलाऊ बैलगाड़ी आदि से प्रदाय की जायेगी।

उपरोक्त कार्य हेतु वन मंडलाधिकारी सामान्य को कूपों से चिन्हांकन के गोश्वारे के साथ यह प्रतिवेदन भी देना था कि शहरी आवश्यकता के लिये कूप से कितने चट्टे बनाये जाकर परिवहन किये जायेंगे तथा अनुमानित मात्रा के अनुसार कितने चट्टे निस्तार में बिना चट्टे बनाये जलाऊ लकड़ी प्रदाय की जायेगी।

24 अक्टूबर 2007 की उत्पादन कार्यों की समीक्षा में यह ज्ञात हुआ है कि कूपों से चिन्हांकन अभिलेखों के गोश्वारे में वन मंडलाधिकारी सामान्य ने वन मंडलाधिकारी उत्पादन को यह सूचित नहीं किया है कि कितनी जलाऊ लकड़ी के चट्टे बनाये जाकर परिवहन की जायेगी तथा कितने जलाऊ लकड़ी बिना चट्टे बनाये निस्तार में सामान्य वन मंडल के अमले द्वारा स्थानीय जनता को प्रदाय की जायेगी। बिना इस जानकारी के निस्तार व्यवस्था के लिये जारी निर्देश दिनांक 2 अप्रैल 2007 का क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वन संरक्षक तत्काल क्षेत्रीय वन मंडल एवं उत्पादन वन नंगल के वन मंडलाधिकारियों की बैठक आयोजित कर कूपवार बनाये जाने वाले जलाऊ चट्टे तथा कूप से सीधे बिना चट्टे बनाये जलाऊ प्रदाय बाबत व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे जिससे अगले निस्तार वर्ष में किसी तरह की असुविधा नहीं होवे।

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2007 का क्रियान्वयन वन संरक्षक करना सुनिश्चित करेंगे तथा की गयी कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को सूचित करेंगे।

**सही/-**

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**

**मध्यप्रदेश भोपाल**

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

पृष्ठभाँक/निरतार/2007/3816

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि अपने प्रभार के वृत्त में इस कार्यवाही को आगामी निस्तार वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

**सही/-**

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**

**मध्यप्रदेश भोपाल**

Page 90 of 102